Name of the Scholar- Kailash Rani

Name of the Supervisor- Prof. Sunita Zaidi

Department: Department of History & Culture, Jamia Millia Islamia, New Delhi

Topic of Research: Pashchim Rajasthan Mein Striyon Ki Stithi (1600-1800 Isvi)

Abstract (सार)

प्रथम अध्यायः परिचय

शोधग्रन्थ का प्रथम अध्याय **परिचय** में पूर्व में प्रकाशित अध्ययनों के बारे में चर्चा कह गई है तथा शोध के लिए प्रयुक्त प्राथमिक स्रोत सामग्री की प्रकृति के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ***सनद परवाना बहियों*** से हमें स्त्रियों की स्थिति के बारे में विस्तृत, लाभदायक तथा जरूरी सूचनाएं प्राप्त होती है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि मध्यकालीन मारवाड़ समाज में स्त्रियों के इतिहास को जानने के लिए ***सनद परवाना बहियां*** अत्यन्त महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि इन *बहियों* से प्राप्त होने वाली सूचनाएं अपने आप में इस दृष्टि से भी विशेष हैं कि अन्य स्रोतों में स्त्रियों की आवाज इतनी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने नहीं नजर आती। मैं अपने **अध्ययन का केन्द्रबिन्दु उससे हटाकर शहरी तथा ग्रामीण समाज की जनसाधारण की सामान्य स्त्रियों को ही बना रही हूं, जिस पर काम करने की आवश्यकता है** तथा तुलनात्मक दृष्टि से भी इस विषयवस्तु पर शोध की आवश्यकता है। मेरे **अध्ययन का केन्द्रबिन्दु शहरी तथा ग्रामीण समाज की महिलाओं के दिन-प्रतिदिन के जीवन का आर्थिक तथा सामाजिक अध्ययन है।**

अध्याय द्वित्तीयः राज्य, समाज, *जाति-पंचायत* और सामाजिक संस्थाएं

शोधग्रन्थ का प्रस्तुत अध्याय **मारवाड़ राज्य, समाज, *जाति-पंचायत* और सामाजिक संस्थाएं तीन** भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में *सगाई* (रिश्ते) पर चर्चा की गई है जिसमें विशेष रूप से अध्ययन किया गया है कि लड़की की सगाई करने का अधिकार किसे प्राप्त था? सगाई करने के जाति अनुसार तौर-तरीकों, सगाई करने के बाद लड़की के पिता पक्ष द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं का अध्ययन किया गया है। सगाई करने के पश्चात् वर पक्ष तथा वधु पक्ष में होने वाले विवादों, उनके कारणों एवं सगाई के एक महत्वपूर्ण पक्ष, इसके आर्थिक पहलु, की महत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। अध्याय में **राज्य तथा विवाह के आपसी संबधों**, राज्य द्वारा लड़कियों के विवाह करने की उम्र तय करने के प्रयत्नों तथा राज्य द्वारा लड़कियों के विवाह पर लिये जाने वाले ***चंवरी* कर** के बारे में चर्चा की गयी है। **राज्य द्वारा जनसाधारण को विवाह करने के लिए *रोजगार* प्रदान किया जाता था ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन की आसानी से शुरूवात कर पाएं तथा विवाह पर होने वाले खर्च का वहन कर पाए।** अध्याय में विवाह होने के पश्चात् **पति व पत्नी के वैवाहिक जीवन में होने वाले विवादों/समस्याओं** पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। मारवाड़ समाज में पति के पत्नी पर अधिकार स्पष्टतः अधिक थे।

अध्याय तृतीयः नारी और आर्थिक सशिक्तकरण

इस अध्याय में मध्यकालीन मारवाड़ समाज में नारी की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, मुख्य रूप से इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयत्न किया गया है कि **मारवाड़ राज्य की स्त्रियों को कौन-कौन से आर्थिक अधिकार प्राप्त थे? क्या उन्हें भू-अधिकार प्राप्त थे? उसके प्राप्त होने के स्रोत क्या थे? क्या उन्हें राज्य, *जाति-पंचायत* तथा समाज द्वारा पुरूषों के समान भूमि को क्रय, विक्रय तथा गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त था? स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों के प्रति राज्य का क्या दृष्टिकोण था? स्त्रियों को प्राप्त भू-अधिकारों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता था?** हालांकि स्त्रियों को पुरूषों के समान उत्तराधिकार में भू-अधिकारों की प्राप्ति नहीं थी, परन्तु उन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में पिता तथा पति पक्ष से भू-अधिकार अवश्य प्राप्त होते थे तथा एक बार प्राप्त होने के पश्चात् उन आर्थिक अधिकारों पर उनका पूर्ण नियन्त्रण रहता था। इन अर्थों में महिलाओं की स्थिति द्वित्तीय श्रेणी की ही रही। लेकिन साक्ष्यों से प्राप्त जानकारी इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि **उन्हें स्थिति विशेष में भू-अधिकार प्रदान किये जाते थे जिन्हें राज्य *जाति-पंचायत* तथा समाज की न केवल स्वीकृति प्राप्त थी, बल्कि स्त्रियां अपने इन अधिकारों के हनन पर पूरी तरह से सजग भी थीं और इस संबध में राज्य को उनके द्वारा लगातार अपील की जाती थी।** यह विशेष बात है कि राज्य तथा *जाति-पंचायत* उनके इन अधिकारों का पूर्णतया सम्मान भी करती थी। स्त्रियों को सम्पत्ति प्राप्त होने के समय तथा बाद में उन्हें पिता तथा पति के भाई बन्धुओं के निरन्तर विरोध का सामना करना पड़ता था। स्त्रियों को सम्पत्ति प्राप्त होने वाले पक्ष के सदस्यों के मृत्योपरान्त धार्मिक परम्पराओं तथा रीति-रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था, न केवल *खरच* (मृत्युभोज) करवाना पड़ता था, अपितु अगर दरबार अथवा किसी व्यक्ति विशेष का उधार/कर्ज हो तो भी उसे चुकाना पड़ता था। अध्याय में इस महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि स्त्रियों को सैद्धान्तिक रूप से आर्थिक अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् भी व्यवहार में अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए किस प्रकार तथा किस-किस से संघर्ष करना पड़ता था, जिसमें स्त्रियों के पति व पिता के भाई-बंधु, राज्य के कर्मचारियों- *जागीरदार*, पटवारी, *हाकम* तथा गांव के लोग भी शामिल थें।

अध्याय चतुर्थः नारी, अपराध एवम् दण्ड व्यवस्था

प्रस्तुत अध्याय (a) **नारी, अपराध एवम् दण्ड व्यवस्था** तथा (b) ***डाकण* प्रथा** दो भागों में विभाजित किया गया है। इस अध्याय में मारवाड़ राज्य में नारी, अपराध एवं दण्ड व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। यह अध्याय तीन भागों में विभाजित है, प्रथम भाग में पुरूषों द्वारा नारियों के प्रति किये गये अपराधों में *बेअदबी* (बदतमीजी से पेश आना तथा बोलचाल करना), *गैरजुबां बोलना* (मर्यादा के विरूद्ध बोलचाल), *मसकरी* (अश्लील मजाक और छेड़छाड़), *बेरीत हालणा* (चरित्रहीन होने का आरोप लगाना), *गैर रीत हालणा* (अभद्र व्यवहार/बेइज्जती करना) आदि मुद्दों पर अध्ययन किया गया है। अध्याय के दूसरे भाग में पुरूषों द्वारा स्त्रियों की मर्यादा-भंग (*चामचोरी*) संबंधी अध्ययन है। स्त्रियों की मर्यादा-भंग होने के प्रति उनकी, मर्यादा-भंग हुई स्त्रियों के प्रति समाज व राज्य का उनके प्रति क्या दृष्टिकोण था? राज्य द्वारा मर्यादा-भंग करने पर अपराधियों को क्या दण्ड दिया जाता था? आदि विषयों की चर्चा की गई है। अध्याय में पुरूषों द्वारा स्त्रियों पर किए गए शारीरिक व मानसिक अत्याचार, जिसमें विशेषकर मारपीट, अंग-भंग तथा पुरूषों द्वारा स्त्रियों की हत्याएं तथा उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित करने जैसे मुद्दों का भी अध्ययन किया गया है। राज्य स्त्रियों के मान-सम्मान तथा मर्यादा बनाए रखने के लिए कटिबद्ध नजर आता है तथा स्त्रियां स्वयं के प्रति किये गये मर्यादा से बाहर के मजाक के लिए भी पुरूषों के विरूद्ध राज्य की कचहरी में अपील करती नजर आती हैं। राज्य भी पुरूषों द्वारा स्त्रियों के साथ किये गए अश्लील मजाक एवं छीटाकशीं को रोकने के लिए **पुरूषों को हत्या के समान अपराध** के समक्ष निर्धारित निश्चित दण्ड से दण्डित करता नजर आता है, ताकि अन्य पुरूषों को सबक मिले तथा स्त्रियों के साथ मर्यादित व्यवहार किए जाने पर जोर देता था। इसी प्रकार राज्य स्त्रियों की मर्यादा-भंग करने वाले पुरूषों के साथ सख्ती से पेश आता था तथा उन्हें कठोरतम दण्ड से दण्डित करता था। स्त्रियों के परिवार के पुरूषों द्वारा भी अपने परिवार की स्त्रियों के पक्ष में राज्य की कचहरी में शिकायत की जाती थी। यहां यह बात स्पष्टतः नजर आती है कि राज्य मर्यादा-भंग करने संबंधी अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण शायद इस बात की ओर इंगित करता नजर आता है कि राज्य अपने को सामाजिक परम्पराओं को लागू रखने वाले शक्ति के रूप में देखता था। अध्याय के दूसरे भाग में मारवाड़ समाज में प्रचलित ***डाकण* प्रथा** का अध्ययन है, जिसके अन्तर्गत स्त्रियों द्वारा उन्हें समाज में डाकण होने का आरोप लगाकर प्रताड़ित किये जाने के विरोध में अपीलें की गई हैं, जिससे हमें *डाकण* प्रथा जैसी कुप्रथा के विभिन्न पहलुओं के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त होती है।

अध्याय पंचमः नारी, समाज तथा *लगवाड़* संबंध

इस अध्याय में स्त्रियों तथा पुरूषों द्वारा *लगवाड* (अवैध संबंध) बनाने तथा उन संबंधों के फलस्वरूप गर्भ तथा गर्भपात का अध्ययन है। इस अध्याय में विशेष तौर पर इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि राज्य तथा समाज स्त्रियों द्वारा किये जाने वाले इस प्रकार के अपराधों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता था? क्या स्त्रियों तथा पुरूषों के लिए दण्ड का निर्धारण लिंग के आधार पर किया जाता था? अथवा अपराध की प्रकृति के अनुसार दण्डित किया जाता था? मारवाड़ राज्य अवैध संबंधों के लिए पुरूष व स्त्री को समान रूप से दण्डित करता नजर आता है।

अध्याय षष्ठमः *नाता* प्रथा

प्रस्तुत अध्याय में मारवाड़ समाज में प्रचलित ***नाता प्रथा*** पर प्रकाश डाला गया है। इस भाग में मारवाड़ समाज में नारी की *नाता* में स्वयं की क्या भूमिका थी? स्त्रियों की इच्छा या अनिच्छा को भी महत्व दिया जाता था अथवा नहीं? इन बिन्दुओं के अतिरिक्त राज्य तथा *जाति-पंचायत* के दृष्टिकोण पर भी स्त्रियों के ***नाता प्रथा*** के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डाला गया है।

अध्याय सप्तमः उपसंहार

प्रस्तुत अध्याय में मध्यकालीन मारवाड़ स्त्रियों की शोध से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। स्त्रियों को मारवाड़ समाज में जहां कुछ विशेष परिस्थितियों में सीमित मात्रा में आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति होती थी। एक बार प्राप्त होने के बाद संपत्ति संबंधी अधिकार स्त्रियों को स्थायी रूप में प्राप्त हो जाते थे। वही दूसरी ओर राज्य तथा *जाति-पंचायत* द्वारा स्त्रियों को मारवाड़ समाज में परम्परागत रूप से प्राप्त अधिकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता था। राज्य द्वारा भी स्त्रियों को उनके विरूद्ध होने वाले आर्थिक, सामाजिक तथा अपराधिक अन्यायों के विरोध में राज्य की कचहरी में अपील करने का अधिकार दिया गया था, जिसका स्त्रियों द्वारा बखूबी प्रयोग किया जाता था। स्त्रियों द्वारा स्वयं की गई बड़ी मात्रा में अपीलें *सनद परवाना बहियों* से हमें प्राप्त होती है। स्त्रियों को समाज में उन पर पुरूष समाज द्वारा किए गए अपराधों के विरोध में अपील करने पर राज्य द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कारवाई भी की जाती थी। स्त्रियां उन पर तथा उनके परिवार के विरूद्ध किये गए अन्य लोगों द्वारा अपराधों विशेष तौर पर मर्यादा भंग, *बेअदबी*, हत्या, लूट, डाकण घोषित करना आदि के खिलाफ अपीलें करती नजर आती है। राज्य द्वारा स्त्रियों की अपीलों की सुनवाई भी की जाती थी। जहां स्त्रियां मारवाड़ समाज में आर्थिक रूप से कुछ मात्रा में सक्षम थी, वही पर सामाजिक संस्थाओं के मामले में उनकी स्थिति पुरूषों के अधीन थी तथा समाज में विवाह से पूर्व पिता, विवाह के बाद पति तथा पति की मृत्यु के बाद पति के पुरूष रिश्तेदारों के नियन्त्रण में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। समाज में सामाजिक संस्थाओं सगाई, विवाह तथा पुर्नविवाह आदि के माध्यम से स्त्रियों को निरन्तर एक पुरूष से दूसरे पुरूष के पास नगद धन के माध्यम से हस्तान्तरण कर दिया जाता था। जिसमें स्त्री की स्वयं की इच्छा का कोई महत्व नहीं था।